को भूल कर आज मिश्रित परम्परा अथवा सभ्यता को अपना रहे है, पर इसकी परवाह आज कौन कर रहा है। आज सभी भौतिकवाद की अंधी दौड़ में शामिल है। इससे संगीत का भविष्य चाहे जैसा भी हो– वर्तमान तो अच्छा है– ऐसी सभी की धारणा बनी हुई है।

अजय चक्रवर्ती के विचारानुसार– ''संगीत का प्रचार–प्रसार तो आज जितना अधिक है, उतना कभी नहीं था लेकिन आज तो संगीत है उसमें शुद्धता की कमी है क्योंकि जो सिद्धान्त है वे तो भंग हो रहे है।''

उपर्युक्त कथन इस विषय को सारगर्भित कर रहा है कि बीसवीं शताब्दी के तकनीकी विकास से एक तीव्र गति पूरे सिस्टम में आ चुकी है जिसने कम समय में ऊँचाईयों पर पहुंचने की ललक को बढ़ावा दिया है। अतः कलाकार की कला में वह शुद्धता, सिद्धि कल्पना मात्र बन कर रह गई है। व्यापारिक मानसिकता के कारण आज की युवा पीढ़ी में अंधाधुंध प्रतियोगिताओं की होड़ और ग्लैमर की चकाचौंध मनोवृति को कलुष भी बनार रही हैं अतः संगीत कला तकनीकों से प्रभावित होकर जहाँ लाभान्वित हुई है वहाँ दूसरी ओर कुछ पक्षों में क्षतिग्रस्त भी हुई है।

1857 के विद्रोह में पटना के कमिश्नर विलियम टेलर की भूमिका

डॉ. अशोक कुमार*

विलियम टेलर पटना प्रमण्डल का आयुक्त था, पटना शहर उन दिनों मुस्लिम राजाओं से घनिष्ट रूप से जुड़ा हुआ था। टेलर ऐहतियाती कार्रवाई के तहत आंदोलन की दिशा पर तीव्र निगाह रखे हुए था।

विलियम टेलर सन् 1857 के अगस्त तक पटना प्रमण्डल का कमिश्नर था। उसने इस संदर्भ में लिखा कि – कुछ वर्षों से यह नगर असंतोष एवं दुरभिसंधियों का अड्डा समझा जा रहा है। सन् 1846 में एक खतरनाक षड्यंत्र का भंडाफोड़ हुआ। उसमें पटना के आस–पास के जिलें के अनेक मुसलमान संबद्ध थे, तथा उसके अंतर्गत देशी जवानों को फोड़ने का प्रयत्न किया गया था। सन् 1846 का षडयंत्र किसी अधिक व्यापक षड़यंत्र का भाग मात्र था। ऐसा इन देश से अच्छी तरह परिचित अनेक लोगों का विचार है। मुझे इसमें किंचित संदेह नहीं कि उसका उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता तथा बरतानवी शासन को उखाड़ फेंकना एवं मुसलमान राजवंश की पुनर्स्थापना करना।

पटना में पहले ही विद्रोह हो चुका था। पटना के कमिश्नर, विलियम टेलर मई1857 में मेरठ में विद्रोह की चिनगारियाँ फूटने काल से ही सतर्कतापूर्ण स्थिति का निरीक्षण कर रहा था एवं नगर की रक्षा हेतु एहतियाती व्यवस्था कर चुका था।[1] वह इसलिए विशेष करके सतर्क था कि यह नगर दानापुर के सैनिक प्रमंडलीय मुख्यालय के समीप था। दानापुर का सैनिक मुख्यालय मेजर जनरल लोआयट के कमान में था। वहां सातवीं, आठवीं और चालीसवीं, ये तीन नेटिव इनफैन्टरी रेजीमेंट, एक यूरोपीय कम्पनी तथा एक नेटिव आर्टिलरी के हर मजेस्ट्री टेन्थ फूट पदस्थापित थे।[2] काये लिखता है कि सन् 1857 जून के अंत में यूरोपीय अत्यधिक आतंकित हो गए थे।[3]

प्रमंडलायुक्त लेफटिनेन्ट गवर्नर से स्थानीय पुलिस दल के गठन का प्रस्ताव कर चुका था। आवश्यकता पड़ने पर उसमें वृद्धि की जा सकती थी। उसने 12 जून 1857 को अपने अधीनस्थ कार्यपालक पदाधिकारियों को सूचित कर दिया कि वे अतिरिक्त आरक्षी दल का संघटन करते समय ऐसी वयवस्था करें कि यथासंभव

***एम.ए., पीएच.डी., बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर**

विभिन्न स्थानों पर संगठित टुकड़ियाँ पटना स्थित केन्द्रीय आरक्षी दल की अभिन्न भाग हों। उसने निम्नलिखित बातों पर उन्हें विशेष रूप से ध्यान देने का आदेश दिया था–

दल में भर्ती किए जाने वाले सभी जवान नीची जातियों तथा दुसाध, चमार आदि के हों।

राजपूत, बाह्मण एवं मुसलमान भर्ती नहीं किए जायें। उन्हीं लोगों को भर्ती किया जाए जो हिष्ट–पुष्ट शरीर वाले हो। उन्हें तलवार, ढ़ाल और बरछा से सज्जित किया जाए। उनकी वर्दी उजली, लाल पगड़ी और कमर बंद होगी।

30 जवानों पर एक जमादार और 25 पर एक दफादार होगा। प्रत्येक मैजिस्ट्रेट सीवान, बाढ़ तथा शेरघाटी के सभी डिप्टी मैजिस्ट्रेट उपर्युक्त आधार पर 50 जवानों को तुरंत भर्ती करेंगे। जिन लोगों ने पहले ही जवानों को भर्ती कर लिया हो वे जाति, परिवार या ऐसा कुछ जो केन्द्रीय दल के अनुपयुक्त हो, के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करेंगे।

आगे लेटिनेंट गवर्नर को प्रमंडलायुक्त ने उनके पड़ोस में जो असाधारण स्थिति उत्पन्न हो रहीं थी उनके संदर्भ में ठीक–ठीक एवं निश्चित आदेश का अनुरोध करते हुए 18 जून, 1857 के अपने पत्र में यह भी लिखा – छपरा के पश्चिम के जिले के लोगों ने खुला विद्रोह कर दिया है। मुजफरपुर के सभी अंग्रेजों ने एक रक्षा व्यवस्था की मांग की है। उन्हें जेल और खजाना के अधिकारी नजाबों पर अविश्वास है। सम्पूर्ण बक्सर एवं शाहाबाद के लोग दानापुर पर चढ़ गए है। कुछ सुनने में आया है कि औरतों के वेश में तथा मेरी घोषणा के फलस्वरूप ही पीछे हटाये जा सके हैं। ये छोटी बातें नहीं है। इन पत्रों में भयानक घटनाओं के विवरण भरे हैं जिनसे संकेत मिलता है कि उन स्थानों पर और अधिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है किन्तु हमारे अधिकारी मुझे रक्षक नहीं भेजने का अनुरोध करते हैं क्योंकि उन पर विश्वास नहीं। ये सब यदि आप देख पातें तो मुझे किस कठिन स्थिति में काम करना पड़ रहा है इसका कुछ अनुमान कर सकते थे। लेटिनेंट गवर्नर नें तत्काल टेलर को आदेश दिया कि कोई विद्रोही सिपाही या भगोड़ी को बिना वारंट के पुलिस अधिकारी द्वारा गिरतार कर लिया जाए तथा इन अभियुक्तों पर सन् 1857 के 17 वें विधान के अंतर्गत कुछ पदाधिकारी की संक्षिप्त सुनवाई करके उन्हें दंडित किए जाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भगोड़े के विषय में जानकारी देने वाले को पचास रूपया इनाम दिए जाने की घोषणा करने को अधिकृत किया।[5] टेलर ने पटना प्रमंडल के मुख्य मुख्यालयों छपरा, आरा, मुजफरपुर, गया और मोतिहारी के अधिकरियों को ब्रिटेन विरोधी विद्रोहों को

कठोरता के साथ दबाने का आदेश दिया। उसने स्वयं बिहार के हुसेन, अहमदुल्ला और वजीवुल हक नामक तीन प्रभावशाली मौलवियों को बरखास्त कर दिया। अवश्य ही यह एक अनुचित कार्रवाई कही जायगी। 19 जून को प्रमंडलायुक्त ने उन्हें अपने कोठी पर पटना के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ तत्कालीन स्थिति पर विचार–विमर्श करने के हेतु बुलाया।[6] तथाकथित विचार–विमर्श[7] खत्म हुआ और दूसरे आमंत्रित लोग चले गए तो इन तीनों को गिरतार कर लिया गया। कुछ दिन बाद टेलर ने लिखा, अभी तक इन व्यक्तियों की गिरतारी को अपने प्रशासन का सर्वाधिक सफल काम मानता हूँ।[8] टेलर ने इसके लिए लेटिनेंट गवर्नर से आदेश भी नहीं लिया था। लेटिनेंट गवर्नर की राय में उसकी ये कारवाईयां बर्बर एवं खतरनाक[9] थी। इन व्यक्तियों की नजरबंदी निश्चित ही एक धोखाघड़ीपूर्ण कार्य थी। टेलर के उत्तराधिकारी, ई. ए. सैमुयेल्स एवं कुछ अन्य अंग्रेज लेखकों ने इसके लिए उसकी ठीक ही भर्त्सना की है। वह लिखता है कि एक मैत्रिपूर्ण बातचीत के लिए किसी को आमंत्रित करना तथा एक अंग्रेज अधिकारी के अतिथि के ही रूप में जब वे उसके साथ हो, उस समय उन्हें गिरतार कर लेना न केवल धोखेबाजी करने के समान है बल्कि रवंय ही बड़ी धोखेबाजी है।[10]

पटना के इन मुसलमान नागरिकों की गिरतारी के दूसरे दिन टेलर से एक घोषणा प्रचारित करके सभी नगरवासियों को शस्त्रास्त्र 24 घंटों के भीतर सरकारी मालखाने में जमा कर देने का आदेश दिया। उसने यह भी आदेश किया कि कोई भी नागरिक सिवाय उनके जिन्हें विशेष अनुमति दी गई हो, रात के 9 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं जाएगा। अली करीम नामक गया में कुछ वर्षों से निवास करने वाले एक प्रभावशाली मुसलमान को गिरतार करने का टेलर का प्रयत्न विफल रहा। उसके आदेश से पटना के मजिस्ट्रेट श्री लेविस ने अली करीम का पीछा किया किन्तु उसे गिरतार नहीं कर सका। ग्रामवासियों ने न केवल लेविस की कोई सहायता नहीं कि बल्कि उसने जो एक टट्टू ठीक किया था उसे गायब कर दिया और दूसरे तरीकों से भी उसको बाधा पहुंचाई।[11]

उत्तर बिहार के अंग्रेज अधिकारियों ने अपने हल्कों में कठोर दमननीति चलाना शुरू कर दिया था। उस क्षेत्र में रहनेवाले निलहे साहब तथा दूसरे यूरोपीय जून, 1857 में विद्रोह भड़क उठने की आशंका से घबड़ाए हुए थे।[12] मुजफरपुर के मैजिस्ट्रेट के आदेश से उन्हें 14 जून 1857 को उन्हें पारस्परिक सुरक्षा[13] के लिए नगर में बुला लिया गया था। 12वीं ईर्रेगुलर कैवेलरी के मेजर ई. एस. ने. उसे क्षेत्र में आन्दोलन को दबाने के लिए अत्यधिक कठोर कर्रवाईयां की थी। 26 जून 1857 के तिरहुत के एक पत्र से हमें सूचना मिलती है कि सम्पूर्ण जिला भर में सैनिक

कानून लगा दिया गया है और सुगौली में होम्स, जिस किसी को पकड़ता है उसे फांसी दे देता है। मुजफरपुर के कुछ मुसलमानों को गिरतार किया गया है। उनमें एक मोटा–ताजा थानेदार भी है। उसके पास काफी विद्रोहात्मक कागज पत्र पकड़े गये हैं। उसे गिरतार करके सुगौली भेज दिया गया है जहां अब तक संभवतः उसे फांसी दे दी गई होगी। देहातों में भी मुख्यतः लालगंज तथा सिंधिया में लौटे हुए देशी सैनिको की गिरतारियां की गई है। विद्रोही रेजीमेंटों के गिरतार सैनिकों को यदि वे अवकाश लेकर नहीं आए हुए हों तो फांसी दे दी जाएगी। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ देशी लोगों में इस प्रकार बहुत अधिक घबड़ाहट है। मेजर होम्स ने अपने प्राधिकार से मार्शल लॉ लागू कर दिया था। 19 जून, 1857 को सारन के मैजिस्ट्रेट को उसने अत्यधिक दम्भपूर्ण लहजों में लिखा था, प्रिय मैकडोनेल, इस कठिन दिनों में एक दर्जन उलझे दिमागवालें की अपेक्षा एक सुलझा व्यक्ति कहीं अधिक अच्छा होता है और अशान्त देश में नागरिक शासन की अपेक्षा सैनिक शासन श्रेयस्कर होता है। फलतः मैंने गोरखरपुर से पटना तक पूर्ण सैनिक प्राधिकार कर लिया है तथा सारण, चम्पारण और तिरहुत के इस सारे क्षेत्र को पूर्ण सैनिक शासन में रख लिया है। गवर्नर जेनरल ने मुझे अपने साथ प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाये रखने का अनुरोध किया है। इस हेतु मैं उन्हें सूचनाओं से अवगत करता हूँ। अब मैं इन जिलों के सभी मैजिस्ट्रेटों में प्रभावकारी ढंग बनाए रखने में मेरी सहायता वे करेंगे इसकी अपेक्षा में रखता हूँ।

किसी कारणवश टेलर पर से कुछ अधिकारियों का विश्वास जाता रहा था। पटना के आयुक्त के पद से उसके हटाए जाने के तात्कालिक कारण उसके मुजफरपुर और गया से अधिकारियों को पटना चले आने के आदेश थे। 5 अगस्त को बंगाल सरकार के द्वारा उसके स्थान पर ई0 ए0 सौमुयेल्स की नियुक्ति किया गया और दोनों को तत्काल पटना के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया गया। उस दिन जेनरल आउटरैम को जो पहली अगस्त को ही कलकत्ता आ चुका था, दानापुर और कानपुर का संयुक्त कमान संभालने के हेतु नियुक्त किया गया। लॉयड और हैवलोक को इन स्टेशनों से हटा लिया गया।[15] सैमुयेल्स के पटना पहुचने तक पटना के न्यायाधीश, आर0 एम0 फरकुहार्सन आयुक्त का काम संभालता रहा। सरकारी आदेश के अनुसार इसने तत्काल कुंवर सिंह का पता देने के हेतु या उसे पकड़वाने के लिए 10 हजार रूपयों के पुरस्कार की घोषणा की। इसने अपने मातहत के अधिकारियों को अपनी घोषणा की तरह प्रचारित करने का आदेश दिया।[16] 12 अगस्त 1857 को उसने गया के असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट स्किपविथ टेलर को एक सैनिक टुकड़ी लेकर गया जाने का तथा वहाँ मनी की अनुपरिथिति में आगे

मिलने तक मैजिस्ट्रेट ओर कलक्टर का कार्यभार संभालने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त 14 अगस्त को छपरा के मैजिस्ट्रेट मैकडोनल्ड को उसने सूचित किया कि एच. ई0 जे. हेन्न नामक एक नौ सेना अधिकारी को आदेश दिया गया था कि वह अपने, गनबोट तथा कुछ नौ सैनिकों के साथ रीविलगंज चला गया। हैन्ने वहाँ जाकर गंगा के घाटों पर पदस्थापित रहेगा एवं फैजाबाद और आरा के बीच किसी तरह के यातायात को रोकने का प्रयत्न करेगा। इस चिट्ठी के अन्त में उसने लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस गनबोट और उसपर तोप एवं यूरोपीय सैनिकों की उपस्थिति का छपरा जिला में आम तौर पर अच्छा प्रभाव होगा। गनबोट के अभाव में गंगा के पश्चिमी किनारे के उपद्रवी लोगों पर नियंत्रण रखने में एक जहाज से भी काम लिया जा सकता था।

जान पड़ता है कि फरकुहार्सन टेलर की अपेक्षा किचिंत नम्र प्रवृति का था। पटना के नागरिकों ने 9 बजे रात के बाद घर से बाहर निकलने पर रोक लगाए जाने के टेलर के आदेश के विरूद्ध उसके पास जब अपील की तो उसने 9 बजे के स्थान पर 12 बजे का समय कर दिया इसके अतिरिक्त उसने सैनिकों या ऐसे कुछ अन्य लोगों के द्वारा एक्कावालों को जर्बदस्ती पकड़ कर उनसे काम कराने के आदेश को भी अंशतः रद्द कर दिया। इससे एक्कावालों को सामान्य रूप से आजीविका अर्जन करने का अवसर मिला। उसने पटना स्थित बिहार स्टेशन गार्ड के कमांडिंग ऑफिसर को 16 अगस्त को आदेश दिया कि वे अब अपने मातहत के नजीबों को उनके शत्रास्त्र लौटा दें एवं छपरा और मुजफरपुर में उन्होंने जो सरकार की सेवा की थी उसके लिए उनमें सरकार का विश्वास था, वह आश्वासन उन्हें दे दिया जाए।

संदर्भ सूची

1. 14 जून 1857 को बंगाल सरकार को टेलर का पत्र।
2. भैलेन, हिस्ट्री ऑफ इन्डियन म्यूटिनी, खंड–1, पृ0–40
3. काये, हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वार, खंड–3, पृ0–74
4. बिहार और शाहाबाद के मैजिस्ट्रेटों एवं सीवान और शेरघाटी के डिप्टी मैजिस्ट्रेटों को 12 जून 1857 के टेलर का पत्र।
5. बंगाल सरकार के सचिव, ए आर यंग का जून 1857 का सभी आयुक्तों को पत्र।
6. टेलर, आवर क्राइसिस, पृ0–30.
7. वही।
8. वही, पृ0–33

9. टेलर को बंगाल सरकार के सचिव का 25 जून, 1857 का पत्र।
10. के, वही, खंड–3, पृ0 83–84
11. टेलर, आवर क्राइसिस, पृ0–44
12. बंगाल सरकार के सचिव, ए0आर0 यंग को मुजफरपुर के मैजिस्ट्रेट एच रिचार्डसन का 17 जून, 1857 का पत्र।
13. चार्ल्स बॉल, वही खंड–1, पृ0–449
14. चार्ल्स बॉल, वही खंड–1, पृ0–449–50
15. द म्यूटिनी ऑफ बंगाल आरमी, पृ0–191
16. आरा के जज को पटना के आयुक्त का 12 अगस्त, 1857 का पत्र।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में चम्पारण सत्याग्रह की भूमिका

डॉ. अमित कुमार*

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में चम्पारण सत्याग्रह का महत्व बहुआयामी है। अफ्रीका से लौटने के बाद गाँधीजी ने चम्पारण से ही भारतीय राष्ट्रीय जागरूकता का प्रथम प्रयोग शुरू किया था जिसका बीज मंत्र उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता की भावना एवं चेतना को बतलाया था।

चम्पारण में महात्मा गाँधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में एक आत्मिक एवं नैतिक बल की चेतना भर दी जो नागरिक स्वतंत्रता के आधार स्तंभ माने जाते हैं। किसी भी रचनात्मक क्रांति की प्रगति एवं सफलता के लिए ये नागरिक स्वतंत्रता के तत्व सार्वधिक महत्वपूर्ण होते हैं। महात्मा गाँधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि नागरिक स्वतंत्रता के लिए निम्नांकित समझ की जरूरत है।

हमें आदर्शों अथवा उन्हें कार्यरूप में परिणत करने से जरा भी नहीं डरना चाहिए। जब हम धन की अपेक्षा सत्य को, वैभव और शक्ति की शान–बान की अपेक्षा निर्भीकता को तथा स्वार्थ प्रेम की अपेक्षा उदारता को प्रश्रय देने लगेंगे तभी सही अर्थ में आध्यात्मिक राष्ट्र बन सकेंगे। यदि हम अपने घरों को, अपने महलों एवं मंदिरों को धन की लोलुपता एवं दिखावा से मुक्त करेंगे तथा उन्हें नैतिकता की विभूति से अभिमंडित दिखायेंगे तभी स्वयंसेवक सेना के दुबोर्द्ध बोझ को वहन बिना किए हुए शत्रुओं के किसी भी संगठन से संघर्ष कर सकेंगे।[1] ये सारे गुण नागरिक स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं।

महात्मा गाँधी ने नागरिक स्वतंत्रता का प्रथम पाठ चम्पारण सत्याग्रह से शुरू किया। दुनिया के इतिहास की अनेक अन्य क्रांतियों की तरह चम्पारण का आंदोलन एक शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था की भयंकर बुराइयों के विरूद्ध असंतोष तथा प्रतिरोध का परिणाम था। चम्पारण में शोषण की यह प्रथा पूंजीवादी व्यवस्था के प्रभाव में वर्षों से कायम थी। इस प्रथा के अंतर्गत गोरे निलहे साहब बड़े पैमाने पर नील की खेती एवं उत्पादन इस क्षेत्र में करते आ रहे थे। उन्हें केवल अपने लाभ एवं मुनाफा की धुन रहती, इसके लिए इस क्षेत्र के सीधे–सादे एवं विपन्न ग्रामीण लोगों के हितों की वे कुछ भी परवाह नहीं करते। बिहार में जहाँ कहीं भी नील की खेती होती थी, अन्याय एवं भयंकर शोषण का सबसे विकृत रूप दिखाई पड़ता

***एम.ए., पीएच.डी., इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर**